"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## ( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 202 ] रायपुर, सोमवार, दिनांक 12 अगस्त 2002—श्रावण 21, शक 1924

विधि विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 अगस्त 2002

### अधिसूचना

फा. क्र. 5412/21-ब/छ.ग./2002.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के साथ पठित अनुच्छेद 234 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा ( भर्ती तथा सेवा शर्तें ) नियम, 1994 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

### संशोधन

उक्त नियमों में नियम-6 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्त: स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"6-ए. महिला के लिए पद का आरक्षण :—

किसी निम्नतर न्यायिक सेवा नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्य के अधीन सेवा में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर महिलाओं के पक्ष में समस्त पदों के तीस प्रतिशत पद आरक्षित होंगे तथा उक्त आरक्षण समस्त और प्रभागवार ( हॉरिजेन्टल एण्ड कम्पार्टमेंट वाइज ) होगा".

**स्पष्टीकरण** :—इस नियम के प्रयोजन के लिए "समस्त और प्रभागवार" (हौरिजेन्टल एण्ड कम्पार्टमेंट वाइज) आरक्षण से अभिप्रेत है. प्रत्येक प्रवर्ग, अर्थात् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य में आरक्षण.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**अनुराधा खरे**, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 12 अगस्त 2002

फा. क्र. 5412/21-ब/छ.ग./2002 .—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 1994 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**अनुराधा खरे**, उप-सचिव.

Raipur, the 12th August 2002

NOTIFICATION

F. No. 5412/21-B/Chh./2002.—In exercise of the powers conferred by Article 234 read with the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1994, namely :—

AMENDMENT

In the said rules, after Rule 6, the following rule shall be inserted, namely :—

"6-A. Reservation of Post for Women :—

Notwithstanding anything contained in Lower Judicial Service Rules, there shall be reserved thirty percent of all post in the service under the State in favour of women at the stage of direct recruitment and the said reservation shall be horizontal and compartmentwise.

**Explanation** :—For the purpose of this rule "horizontal and compartmentwise" means reservation in each category, namely Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Class and General.

By order and in the name of the Governor of Chhattigarh,
ANURADHA KHARE, Deputy Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.